14/06/2021

पत्रावली प्रार्थी देशराम द्वारा अधिवक्ता की आवेदन प्रस्तुत स्वामी प्रस्तुत प्रति 151, 152 CPC को प्रस्तुत किये जाने पर तलब की गई। प्रार्थी/वादी देशराम द्वारा प्रस्तुत प्रति पत्र द्वारा 151, 152 CPC का स्वीकार किया जाकर आदेश किया जाता है कि वादपत्र एवं निर्णय दिनांक 27/05/2021 में अंकित वादी का नाम देशराज की बजाय देशराम पढ़ा जावे। यह आदेश हमारा न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2021 का हिस्सा रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:28:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner